International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 01-10-2022, Accepted: 17-10-2022, Published: 03-11-2022
Volume 4, Issue 2, 2022, Page No. 52-53

डॉ० लोहिया का चौखम्भा राज्य का दर्शन

डॉ० सुनीता कुमारी
इतिहास, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार भारत

सारांश
लोकतंत्र को जीवन्त बनाए रखने हेतु लोहिया ने चौखम्भा राज्य की परिकल्पना की थी जिसके तहत लोकतंत्र के चार खम्भे राष्ट्र, राज्य, शहर और ग्राम की स्वायत्ता एवं महता को पूर्णतः कायम रखने की बात कही गयी है।
लोहिया का चौखम्भा राज्य का दर्शन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आदर्श स्थिति को इंगित करती है। जो कि लोकतंत्र का मूल आधार है एवं सफल समाजवादी व्यवस्था के लिए एक आवश्यक शर्त है।

मूल शब्दः चौखम्भा राज्य, डॉ० लोहिया, लोकतंत्र

प्रस्तावना

डॉ० राममनोहर लोहिया का चौखम्भा राज्य का दर्शन एक क्रांतिकारी एवं मौलिक दर्शन था। सन् 1950 ई० में लोकतंत्र को जीवन्त बनाए रखने हेतु उन्होंने चौखम्भा राज्य की परिकल्पना की थी, जिसके तहत लोकतंत्र के चार खम्भे राष्ट्र, राज्य, शहर और ग्राम की स्वायत्ता एवं महत्ता को पूर्णतः कायम रखने की बात कही गयी है और इसमें कहीं भी अतिक्रमण की स्थिति नहीं आयेगी। लोहिया का चौखम्भा राज्य का दर्शन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आदर्श स्थिति को इंगित करती है। जो कि लोकतंत्र का मूल आधार हैं एवं सफल समाजवादी व्यवस्था के लिए एक आवष्यक शर्त है। यहाँ पूर्ण स्वराज्य का सपना भी साकार होता है। स्थानीय निकाय, जनता की भागीदारी, कानून बनाने, अर्थ–व्यवस्था के निर्धारण सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होगी न कि केन्द्रीय–सत्ता का एक उपनिकाय मात्र। आजादी के पश्चात् राष्ट्र में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती चली गयी और राजनीतिक, आर्थिक एवं तमाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में केन्द्रीयकरण की संस्कृति हावी होती चली गई। जिसका लाभ मुट्ठी भर लोगों को तो मिला किन्तु व्यापक जनसमूह हासिए पर जाता रहा। अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर केन्द्रीयकरण हुआ। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो ही गयी, पलायन और बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप से सामने आयी। संशोधनों के दोहन से पर्यावरण से संबंधित समस्याएँ भी आ खड़ी हुई। यही हाल राजनीतिक केन्द्रीयकरण की वजह से भी सामने देखने को मिलता है। सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीत हो गयी और नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया। लोहिया इन तमाम परिवर्त्तनों से बहुत ही चिंतित थे और इसी कारण सन् 1950 ई० में उन्होंने चौखम्भा राजदर्शन की उद्घोषणा की।
विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य है, वैसी राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें केन्द्रीय सरकार की प्रषासनिक सत्ता, जनसंसाधन और दायित्वों का हस्तांतरण सरकार के नीचले स्तर के तंत्रों या असरकारी तंत्रों समुदाय आधारित तंत्रों, तीसरे पक्ष के असरकारी संगठनों या निजी संस्थानों की दिशा में होता है। सिद्धान्ततः मुख्य मुद्दों को इस तरह चिन्हित किया जा सकता है –

1. उप केन्द्रीकरण, इसके तहत केन्द्रीय मंत्रालय और संस्थानों के तहत राजनीतिक, राजकर संबंधी एवं प्रशासनिक दायित्वों का हस्तांतरण नीचले स्तरों पर किया जाता है।
2. निक्षेपण, इसके तहत राजनीतिक, प्रशासनिक एवं राजकर संबंधी उपकेन्द्रीय सरकारी इकाइयों को निर्मित किया जाता है या मजबूत किया जाता है।
3. प्रतिनिधि नियुक्ति, इसके तहत दायित्वों का हस्तांतरण वैसे संगठनों को किया जाता है जो कि औपचारिक नौकरशाही परिधि से बाहर हो और परोक्ष रूप से केन्द्रीय सरकारी नियंत्रण में हों।
4. निजीकरण, इसके तहत सारे सरकारी दायित्वों का हस्तांतरण गैरसरकारी संगठनों या निजी संस्थाओं को कर दिया जाता है।

इन हस्तांतरण में यह शक्ति भी निहित हो सकती है कि वे जन संसाधनों के बँटवारा और वितरण, कार्यक्रमों को लागू करने और इसके लिए जन संसाधनों को खर्च करने या राशि बढ़ाने संबंधी निर्णय ले सकते हैं।
विकेन्द्रीकरण के पक्ष में एक आलोचना हमेशा ही केन्द्र राज्य योजना के संबंध में होती है वह यह कि विशाल और केन्द्रीकृत प्रशासित नौकरशाही एक अक्षम एवं एक हद तक विध्वंसकारी संसाधन व्यवस्था को समाज में प्रस्तुत करता है। इस दावे के समर्थन में तीन तर्क प्रस्तुत किये जाते है– पहला, केन्द्रीयकृत संस्थाएँ जनता की सही जरूरतों एवं प्राथमिकताओं से संबंधित व्यवस्था हेतु समय और स्थान संबंधित जानकारियों की कमी से ग्रस्त रहती है।
दूसरा तर्क दिया जाता है कि केन्द्रीय शासन व्यवस्था जो कि नियंत्रण के सिद्वांत पर आधारित होती है। गुणात्मक रूप से बाजारीकृत व्यवस्थाओं से भिन्न होती है, जो कि प्रतियोगिता और आदान–प्रदान के सिद्धांत के तहत संचालित होती है या फिर स्वयं सेवी संस्थाएँ जो कि परोपकार की भावनाओं से संचालित की जाती है वो भी राज्य व्यवस्था से भिन्न होती है।

राज्य के पास इन दोनों व्यवस्थाओं के समान वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था एवं लीचेलेपन की कमी होती है अतः विकेन्द्रीकरण इस कमी एवं स्थानीय जरूरतों को देखते हुए आवश्यक जान पड़ता है।

लोहिया के अनुसार विकेन्द्रीकरण की सर्वोत्तम स्थिति होती है राजनीतिक और आर्थिक ध्रुवों का केन्द्र या राज्य स्तर से स्थानीय स्तर तक झुकते जाना। विकेन्द्रीकरण नए कर्त्ताओं को सशक्त बनाती है (स्थानीय और गैर स्थानीय स्तर पर) और सिद्धांततः जवाबदेही और भागीदारी की नई धाराओं का निर्माण करती है। फिर इस धारण का पूर्ण समर्थन नहीं किया जा सकता कि विकेन्द्रीकरण स्वतः ही गरीबी निवारण में मददगार होती है। उसी तरह इस तर्क का भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि स्वतः ही विकेन्द्रीकरण स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुषासन, जवाबदेही की गारंटी है। दूसरे शब्दों में स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण से अधिक की अपेक्षा रखती है।

लोहिया के अनुसार तीन महत्वपूर्ण कारक जिसके तहत स्थानीय तंत्रों को ज्यादा से ज्यादा वंचित वर्गो के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है –

1. एक सक्रिय नागरिकता, राजनीतिक जीवन के विशाल क्षेत्रों में जिसकी भागीदारी, लॉबिंग इत्यादि सत्ता के स्वेच्छाचारी रवैये के प्रतिरोधक के रूप में कार्य कर सके।
2. राजकीय आय और राजनीतिक सहायता सरकार के अन्दर के उच्च पदस्थों द्वारा।
3. प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टीयों जिनकी साख गरीबों का मदद करने और उनकी जरूरतों को महसूस करने की क्षमता पर निर्भर हों।

लोहिया के अनुसार सिविल सोसाइटी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावशाली और जिम्मेवार सरकार के लिए एक मजबूत सिविल सोसाइटी आवश्यक है ताकि वह उस पर नियंत्रण रखे सकें।

सिविल सोसाइटी से अक्सर यह अर्थ निकाला जाता है कि वह ऐच्छिक कार्यो के समकक्ष है जो कि परिवार और राज्य के बीच स्थापित है। इसमें तृतीय पक्ष सम्मिलित है जैसे देषी या विदेशी स्वयंसेवी संस्थान, सदस्यता वाले संगठन जैसे कि मजदूर संगठन, किसन, संगठन, क्रेडिट समूह, राजीतिक दल, माफिया संगठन, धार्मिक समूह इत्यादि। इस रूप में हम सिविल सोसाइटी के महत्व और इसके विभाजन को इस रूप में व्यक्त कर सकते है एक समूह वह है जो वरीयताक्रम और नियंत्रण के आधार पर संगठित हुआ हो और दूसरा अपेक्षाकृत परोपकारी सिद्वांतों के आधार पर संगठित हुए हो और छोटे या वृहतर पारिवारिक इकाई के रूप में संगठित हो।

लोहिया के अनुसार विकेन्द्रीकरण का अध्ययन, सिविल सोसाइटी संगठन और स्थानीय जवाबदेही के मध्य दो महत्वपूर्ण संबंधो को दिखलाते है, एक स्थानीय सशक्तीकरण के महत्व पर जोर देता है। चीन और नाइजीरिया के दृष्टांतों के मद्देनजर मीनाक्षी सुन्दरम (1999, 66–7) तर्क प्रस्तुत करती है कि स्थानीय जवाबदेही वृहद भागीदारी पर व्यपाक रूप से निर्भर होती है। बालक्विा, हॉडुरस, भारत, (कर्नाटक), माली, यूक्रेन, फिलीपिन्स जैसे, देशों के अध्ययन के पश्चात् प्लेयर इस नतीजे पर पहुँचे कि सिविल सोसाइटी संगठन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत जवाबदेही के लिए दवाब बनाते है और जवाबदेही तब ज्यादा आधारयुक्त होती है जबकि जनता राज्य सत्ता के बाहर लोक सेवकों के नियमित और अनियमित कार्यों के प्रति जागरूकता हेतु संगठित होती है।

दूसरा आकलन है कि वो संगठन जो सिविल सोसाइटी से बाहर रहकर गरीबों और हाषिए पर चले गये लोगों को सबल बनाने के दिषा में काम कर सकते है, जैसे कि स्वयंसेवी संगठन, गरीबों को विस्तृत क्षितिज उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकते है जिससे कि वो ज्यादा मजबूत और ऊपर तक का राजनीतिक संपर्क स्थापित कर सके। द्वितीय वे उनके राजनीतिक क्रियाकलापों का कुछ व्ययों को उठाने का जिम्मा ले लें। तृतीय वे गरीबों को सामुदायिक कार्यो में व्यस्त करने हेतु प्रोत्साहित कर या संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक जुड़ाव और राजनीतिक अवसरों से अवगत करा सकते है।

लोहिया के अनुसार साक्षरता और राजनीतिक कार्यकलापों के सीधे संबंध को भी समझना होगा। ऐसा ही ड्रीज और सेन (1996) में अपनी दलीलें दी थी कि कानून योजनाएँ और अधिकार जो आम लोगों के लिए बनाये गये है उसको समझने की क्षमता उनके पढ़ सकने की क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर है। यह एक हथियार है जिसका उपयोग कर वे राजनीतिक संस्थाओं में अपने प्रतिनिधित्व को ज्यादा मजबूत बना सकते है।

निष्कर्ष

जबतक वे पार्टी प्लेटफार्म, सरकारी नीतियों और अधिकार जो कि उन्हें प्रदान की गई हों उससे अनभिज्ञ रहेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की उनकी क्षमता सीमित ही बनी रहेगी।

जब राजनीति दल योजनाबद्ध नीतियों के स्थान पर तात्कालिक लाभ को देखते हुए अपने अभियानों को कार्य रूप देगें तो इस स्वरूप और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच रिष्ता बहुत ही नाजुक बना रहेगा।

संदर्भ सूची

1. समता और सम्पन्नता, सम्पादक ओंकार शरद, लोक भारती प्रकाषन, इलाहाबाद, 1992
2. इकोनोमिस्ट, 2001, नई दिल्ली।
3. वर्ल्ड बैंक की रिर्पोट, 2001 नई दिल्ली।
4. राममनोहर लोहिया 'इतिहास चक्र'।
5. श्रीमति इन्दुमति केलकर, लोहिया कर्म और सिद्धान्त, इलाहाबाद, 1983
6. सप्तक्रांति, डॉ राममनोहर लोहिया, प्रकाषक राधाकान्त यादव, पटना।